उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-02/2021/37/94-स्टा0नि0-2-2021-700(296)/2017
लखनऊ, दिनांक: 12 जनवरी, 2021

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या एम०599/X-501 दिनांक 25 मार्च, 1942 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना की प्रस्तर 54 को विलोपित करती हैं।

आज्ञा से

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्याः-02/2021/37/94-स्टा0नि0-2-2021-700(296)/2017 दिनांकः 12 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12.01.2021 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्याः-02/2021/37/94-स्टा0नि0-2-2021-700(296)/2017 दिनांकः 12 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
10. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.02/2021/37/94-Sta.Ni.-2-2021-700(296)/2017 dated 12 January, 2021.

Notification
Order

No.02/2021/37/94-Sta.Ni.-2-2021-700(296)/2017
Luckdown, Dated 12 January, 2021.

In exercise of the powers under section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, in partial modification of Government notification no. M.599/X-501 Dated 25 March, 1942, is pleased to omit the paragraph 54 of the said notification.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।